पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2018

अनवान :

1. अन्तरसिंह पुत्र श्री अर्जन जाति गुर्जर निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. अर्जन पुत्र पतराम जाति गुर्जर निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कमलादेवी
3. लीलो
4. राजो
5. शारदा
6. कृष्णादेवी

   पुत्रियान अर्जन जाति गुर्जर निवासीगण गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. ओबीसी बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राकेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 7 एसडीआर** के खाता सं0 8/10 के मु0नं0 79 के किला नं0 20, 21 मु0नं0 80 के किला नं0 4 ता 7 कुल 1.5180 है0 एवं **चक 6 एसडीआर** के खाता सं0 12/14 के मु0नं0 12 के किला नं0 11, 20 मु0नं0 92 के किला नं0 2, 3, 8, 9 की कुल 1.5180 है0 भूमि तन्हा प्रतिवादी अर्जन के नाम खातेदारी दर्ज है एवं चक 7 एसडीआर के खाता सं0 9/9 के मु0नं0 74 के किला नं0 6 ता 10, 11/1, 12 ता 15 की कुल 2.4670 है0 भूमि में प्रतिवादी अर्जन के नाम 40 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है का तन्हा वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 ता 6 ने वादगत कृषि भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाई वादी अन्तरसिंह के पक्ष में तर्क कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं **चक 5 एसडीआर** के खाता सं0 12/12 मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10 की कुल 1.5180 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी अर्जन के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.7.18 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 142/2018

अनवान :

1. अन्तरसिंह पुत्र श्री अर्जन जाति गुर्जर निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अर्जन पुत्र पतराम जाति गुर्जर निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कमलादेवी
3. लीलो
4. राजो
5. शारदा
6. कृष्णादेवी

पुत्रियान अर्जन जाति गुर्जर निवासीगण गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

7. ओबीसी बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राकेश बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री योगेश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 20.7.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 8/10 के मु0नं0 79 के किला नं0 20, 21 मु0नं0 80 के किला नं0 4 ता 7 कुल 1.5180 है0 एवं चक 5 एसडीआर के खाता सं0 12/12 मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10 की कुल 1.5180 है0 व चक 6 एसडीआर के खाता सं0 12/14 के मु0नं0 12 के किला नं0 11, 20 मु0नं0 92 के किला नं0 2, 3, 8, 9 की कुल 1.5180 है0 भूमि तन्हा प्रतिवादी अर्जन के नाम खातेदारी दर्ज है एवं चक 7 एसडीआर के खाता सं0 9/9 के मु0नं0 74 के किला नं0 6 ता 10, 11/1, 12 ता 15 की कुल 2.4670 है0 भूमि में प्रतिवादी अर्जन के नाम 40 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जो कि प्रतिवादी अर्जन को अपने पिता पतराम से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी अर्जन के नाम उक्त भूमि परिवार का कर्ता होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादगत कृषि भूमि पक्षकारान दावा के संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपाशर्नरी सम्पति है जिसमें वादी व अन्य प्रतिवादीगण का प्रतिवादी अर्जन के साथ जन्म से हक व हिस्सा

निहित है। पक्षकारान दावा संयुक्त रूप से वादगत कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 ने वादगत कृषि भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाई वादी .अन्तरसिंह के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने राजीनामा पेश किया।

साक्ष्य वादी में अन्तरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 7एसडीआर खाता सं0 8/10, 9/9 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 5एसडीआर खाता सं0 12/12 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6एसडीआर खाता सं0 12/14 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग चक 5 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग चक 7 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 7, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग चक 6 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी चक 5, 6, 7 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि पक्षकारान दावा के संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपाशर्नरी सम्पति होना व प्रतिवादी अर्जन को अपने पिता पतराम से विरासतन प्राप्त होना तथा प्रतिवादी अर्जन के नाम उक्त भूमि परिवार का कर्ता होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना अंकित किया है एवं वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ में भी उक्त तथ्यों का हवाला दिया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने राजीनामा में वादीगण के साथ वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपाशर्नरी सम्पति होने की पुष्टि की है। वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं है। इस प्रकार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की सहदायिकी सम्पति होना साबित है। सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में अर्जन के वारिसान में पत्नी सरबती देवी, पांच पुत्रियां कमला देवी, लीलो, राजो, शारदा, कृष्ण देवी होना व एक पुत्र अन्तरसिंह होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 7 एसडीआर** के खाता सं0 8/10 के मु0नं0 79 के किला नं0 20, 21 मु0नं0 80 के किला नं0 4 ता 7 कुल 1.5180 है0 एवं **चक 6 एसडीआर** के खाता सं0 12/14 के मु0नं0 12 के किला नं0 11, 20 मु0नं0 92 के किला नं0 2, 3, 8, 9 की कुल 1.5180 है0 भूमि तन्हा प्रतिवादी अर्जन के नाम खातेदारी दर्ज है एवं चक 7 एसडीआर के खाता सं0 9/9 के मु0नं0 74 के किला नं0 6 ता 10, 11/1, 12 ता 15 की कुल 2.4670 है0 भूमि में प्रतिवादी

अर्जन के नाम 40 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है का तन्हा वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 ता 6 ने वादगत कृषि भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाई वादी अन्तरसिंह के पक्ष में तर्क कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं चक 5 एसडीआर के खाता सं0 12/12 मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10 की कुल 1.5180 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी अर्जन के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़